FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0332 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/12/2025 12:10 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	238
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 13/12/2025 **Date To (दिनांक तक):** 15/12/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:50 बजे **Time To (समय तक):** 13:36 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/12/2025 **Time (समय):** 11:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/12/2025 12:10:00 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 0.7 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** KARALAYA SAHAYAK AYUKT,VRITT-B, VANIJYAK KAR VIBHAG,BIKANER

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SANJEEV GUPATA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SATVEER PARSAD GUPATA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1993 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	B 1/93, SUDARSHANA NAGAR PAWANPURI, JAINARAYAN VYAS COLONY, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	B 1/93, SUDARSHANA NAGAR PAWANPURI, JAINARAYAN VYAS COLONY, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PURSHOTTAM JOSHI		पिता:SATYANARAYAN JOSHI	1. BADA GANESH JI MANDIR KE PASS OUT SIDE,NATHOOSAR GATE,BIKANER,RAJASTHAN,IN
2	KALICHARAN JOSHI		पिता:MAKKHANLAL JOSHI	1. NATHANIYO KI SARAY,NATHOOSAR GATE KE ANDAR,BIKANER,RAJASTHAN,I

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,दिनांक 13.12.2025 को परिवादी श्री संजीव गुप्ता पुत्र श्री सतवीर प्रसाद गुप्ता निवासी बी-1/93 सुदर्शना नगर पवनपुरी बीकानेर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट बीकानेर पर उपस्थित आकर एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र मन् आशीष कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आश्य का पेश किया कि "मै प्रार्थी संजीव गुप्ता पुत्र श्री सतवीर प्रसाद गुप्ता निवासी बी-1/93 सुदर्शना नगर पवनपुरी बीकानेर का निवासी हूं। मेरी श्रीबालाजी इन्टरप्राईजेज के नाम से ए-174 शिवबाड़ी वल्लभ गार्डन रोड़ बीकानेर में स्थित दुकान है, जिसमें मै कोल्डड्रिंक का काम करता हूं। मैने सारा काम जीएसटी का भुगतान करके किया था फिर भी जीएसटी विभाग बीकानेर ने मेरे 9,42,942.24 रूपये की रिकवरी निकाल दी थी। इस रिकवरी के संबंध में मैने जीएसटी विभाग बीकानेर में सम्पर्क किया तो श्री पुरूषोतम जोशी अधिकारी व कालीचरण जोशी बाबू ने मुझे कहा कि आप 50,000 रूपये हमे खर्चा पानी के दो तो हम आपका रिकवरी वाला सौदा सेट कर देगें। मेरे पास श्री पुरूषोतम जोशी व कालीचरण जोशी बाबू का इस रिकवरी के संबंध में कई बार फोन आये है खर्चा पानी देने के लिए तथा श्री पुरूषोतम जोशी अधिकारी टैक्सट मैसेज भी करते है। कब आ रहे हो मिलने के लिए, मेरे से श्री पुरूषोतम जोशी अधिकारी व कालीचरण जोशी बाबू खर्चा पानी की मांग करते है। मेरा श्री पुरूषोतम जोशी व कालीचरण जोशी बाबू से कोई पुराना लेनदेन बकाया नही है न ही कोई रंजिश है। मै दोनो भ्रष्ट अधिकारी श्री पुरूषोतम जोशी व कालीचरण जोशी को रिश्वत देते समय रंगे हाथ ट्रेप करवाना चाहता हूं। जीएसटी विभाग बीकानेर द्वारा मेरी दुकान श्रीबालाजी इन्टरप्राईजेज के नाम से 9,42,942.24 रूपये की रिकवरी का पत्र निकाला था, उक्त पत्र व मेरा आधार कार्ड की फोटो प्रतियां पेश कर रहा हूं। आप श्रीमानजी कानूनी कार्यवाही करें।" दिनांक 13.12.2025 एस.डी. सं जीव गुप्ता। प्रार्थी संजीव गुप्ता पुत्र श्री सतवीर प्रसाद गुप्ता निवासी बी-1/93 सुदर्शना नगर पवनपुरी बीकानेर मो. परिवादी की उक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया जाकर प्रार्थना पत्र के बारे में पूछा तो परिवादी श्री संजीव गुप्ता ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरी स्वंय की हस्तलिपी में है, तथा इस पर मेरे ही हस्ताक्षर है तथा इसमें लिखित तथ्य सही है। परिवादी से मजीद पूछताछ की गई तो परिवादी श्री संजीव गुप्ता ने बताया कि मेरी श्रीबालाजी इन्टरप्राईजेज के नाम से ए-174 शिवबाड़ी वल्लभ गार्डन रोड़ बीकानेर में स्थित दुकान है, जिसमें मै कोल्ड ड्रिंक का काम करता हूं। मैने सारा काम जीएसटी का भुगतान करके किया था फिर भी जीएसटी विभाग बीकानेर ने मेरे 9,42,942.24 रूपये की रिकवरी निकाल दी थी। इस रिकवरी के संबंध में मैने जीएसटी विभाग बीकानेर में सम्पर्क किया तो श्री पुरूषोतम जोशी अधिकारी व कालीचरण जोशी बाबू ने मुझे कहा कि आप 50,000 रूपये हमे खर्चा पानी के दो तो हम आपका रिकवरी वाला सौदा सेट कर देगें। श्री पुरूषोतम जोशी व कालीचरण जोशी बाबू का इस रिकवरी के संबंध में कई बार फोन आये है खर्चा पानी देने के लिए तथा श्री पुरूषोतम जोशी अधिकारी द्वारा टेक्सट मैसेज भी करते है कब आ रहे हो मिलने के लिए। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी के मोबाईल फोन में टैक्सट मैसेज का अवलोकन किया तो पुरूषोतम जोशी द्वारा परिवादी श्री संजीव गुप्ता को मिलने के संबंध में टेक्सट मैसेज किया कि "संजीव जी कॉल का रिप्लाई करो, वैन्सडे हो गया कब आओगें, संजीव जी क्या हुआ, संजीव जी क्या हुआ आये नही, भाई साहब आपका वेट कर रहा हूं, आये नही" तथा परिवादी श्री संजीव गुप्ता, पुरूषोतम जोशी व कालीचरण जोशी तीनो के मध्य सामान्य कॉल व व्हाट्सएप कॉल होना कई बार पाई गई है। परिवादी को हिदायत दी कि उक्त टैक्सट मैसेज जो पुरूषोतम जोशी द्वारा व सामान्य कॉल व व्हाट्सएप कॉल तथा कालीचरण जोशी व आपके मध्य हुई उक्त कॉलिंग को डिलीट नही करे, वक्त जरूरत पड़ने पर पेश करे। परिवादी ने बताया कि श्री पुरूषोतम जोशी अधिकारी व कालीचरण जोशी बाबू खर्चा पानी की मांग करते है। परिवादी श्री संजीव गुप्ता के प्रार्थना पत्र व मजीद पूछताछ से मामला पीसी एक्ट की परिधि में आना पाये जाने से परिवादी श्री संजीव गुप्ता को रिश्वत मांग के गोपनीय

सत्यापन बाबत पूछा गया तो परिवादी श्री संजीव गुप्ता ने बताया कि आज तो उनके ऑफिस की छुट्टी है, मै कॉल करके पुरूषोतम जी का पता करता हू। जिस पर परिवादी को पता करने का कहा तो परिवादी ने अपने मोबाईल नम्बर से आरोपी पुरूषोतम जोशी के मोबाईल नम्बर पर कॉल करके वार्ता की तो उन्होने कहा कि आप गंगाशहर रोड़ पेट्रोल पम्प के पास दो बजे तक आ जाओ। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री कन्हैयालाल कानिस्टेबल नम्बर 312 कार्यालय हाजा से सरकारी डीवीआर व मेमोरी कार्ड मंगवाकर परिवादी श्री संजीव गुप्ता से आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू एवं बन्द करने तथा वार्ता को रिकॉर्ड करने की विधि समझाई गई एव श्री कन्हैयालाल कानिस्टेबल को परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के संबंध में शिकायत से अवगत करवाकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन बाबत पाबन्द किया गया। तत्पश्चात श्री कन्हैयालाल कानि.312 को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड जरिये फर्द सुपूदर्गी सपुर्द किया जाकर परिवादी श्री संजीव गुप्ता के साथ गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी के निजी वाहन से गंगाशहर रोड़ बीकानेर के लिए रवाना किया गया। वक्त 03.00 पीएम पर श्री कन्हैयालाल कानि.312 मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर स्थापित मेमोरी कार्ड के हाजिर चौकी आया। कानिस्टेबल ने बताया कि परिवादी संजीव गुप्ता को निर्देशानुसार आरोपीगणों से वार्ता होने के बाद गंगाशहर से ही रूखस्त किया गया है जो कल दिनांक 14.12.2025 को कार्यालय में उपस्थित आयेगा। श्री कन्हैयालाल कानिस्टेबल ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिवीआर सुपूर्द किया और बताया कि मैं परिवादी के साथ रवाना होकर गंगाशहर जैन पीजी कॉलेज के सामने पेट्रोल पम्प के पास पहूॅचकर परिवादी से श्री पुरूषोतम जोशी को फोन करवाया तो पुरूषोतम जोशी ने बताया कि मै आ रहा हूॅ आप वही रूको। तत्पश्चात परिवादी के पास वक्त 02.19 पीएम पर श्री कालीचरण बाबू सैल टैक्स कार्यालय बीकानेर का फोन आता है। जिस पर परिवादी ने रिसिव नही किया। वक्त 02.21 पीएम पर परिवादी संजीव गुप्ता द्वारा श्री कालीचरण बाबू को फोन करके वार्ता करता है जो डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्ड है। उक्त वार्ता के डिवीआर को कार्यालय कम्प्यूटर पर कनेक्ट कर सुना गया तो उक्त वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। जिसमें परिवादी एवं आरोपीगण की निम्न वार्ताए है- श्री कालीचरण बाबू कहता है "जयंशकर भाई साहब, परिवादी जयशंकर कालीचरण जी, कालीचरण कहा हो भाई साहब, परिवादी मैं तो यही था, कालीचरण है, परिवादी यही था मै तो, कालीचरण कहा हो, परिवादी यही घर के पास मतलब यहां गंगाशहर साईड में आदेश करो, कालीचरण जोशी जी रो फोन आयो कि बे के केवे।" तत्पश्चात वक्त 02.23 पीएम पर परिवादी द्वारा पुरूषोतम जोशी को फोन लगाकर पूछता है तो "परिवादी कहता है थे कालीचरण जी ने भेज्यो हो के साब, तो पुरूषोतम कहता है हा, परिवादी पुरूषोतम खुद से मिलने व पूर्व में की गई डिमाण्ड राशी को कुछ कम करने के निवेदन करने पर पुरूषोतम कहता है इसमें कुछ नही है गुरू ये बिलकुल वो ही है ये तो मानलो बिल्कुल एक प्रतिशत ही नही है नही तो खेल बिगड़ जातो, परिवादी ऐसे क्या, पुरूषोतम ये जो राशि है ना, ये जो आपका काम हुआ है ना उसका एक प्रतिशत ही नही है। परिवादी वो तो मुझे ही पता है नो लाख, पुरूषोतम क्योकि वो तो आपने कहा था, रिकवेस्ट की थी इसलिये सारा काम किया है, वरना होता नही ऐसे काम, परिवादी वो तो बात है, तो पुरे पचास ही देने होगें क्या, पुरूषोतम बिल्कुल, बिल्कुल एक दम बिल्कुल, परिवादी मै आपको आप सोमवार को ऑफिस जाओगे क्या, परिवादी मुझे आज की मोहल्ल्त दो मै सोमवार को आपको पेसे दे दूंगा, पुरूषोतम ठीक-ठीक" तत्पश्चात वक्त 02.30 पीएम पर परिवादी श्री कालीचरण से मिलने के लिये कॉल करता है तब कालीचरण कहता है हा भाई साहब, परिवादी आप हो या चले गये वहां से, कालीचरण चला गया वो भाई साहब का फोन आ गया था, परिवादी हा वो बात हो गई मेरी पुरूषोतम जी से, कालीचरण ठीक है। परिवादी एक बार आये हुवे हो, मै आपसे मिल लेता हूॅ, कालीचरण अब चला गया भाई साहब का फोन आया तब। उक्त रिकार्ड वार्ता के डीवीआर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा।दिनांक 14.12.2025 को वक्त 12.50 पीएम पर परिवादी श्री संजीव गुप्ता पुत्र श्री सतवीर प्रसाद गुप्ता हाजिर चौकी आया। दिनांक 13.12.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताएं जो ब्यूरो के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में परिवादी, श्री पुरूषोतम जोशी व श्री कालीचरण बाबू सैल टैक्स कार्यालय बीकानेर के मध्य हुई की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करने हेतु डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्ट कर परिवादी श्री संजीव गुप्ता व श्री कन्हैयालाल कानि.312 के रूबरू सुन सुनकर श्री कन्हैयालाल कानि.312 की सहायता से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर मूल मेमोरी कार्ड से दो पैन ड्राईव पृथक से कॉपी करवाये जाकर एक पैन ड्राईव को सील्ड मोहर कर मार्क A अंकित किया तथा दूसरे पैन ड्राईव को अन्वेषण प्रयोजनार्थ खुला रखा गया तथा मूल मेमोरी कार्ड को सैफ्टी कवर में डालकर सील्ड मोहर कर मार्क M अंकित किया गया। उपरोक्त वजह सबूत सील्ड शुदा पैन ड्राईव मार्क A तथा मूल मैमारी कार्ड मार्क M तथा एक खुला पैन ड्राईव को जमा मालखाना करवाने हेतु मालखाना प्रभारी को सुपुर्द किये जाकर जमा मालखाना करवाये गये। रिकॉर्ड वार्ताओं के अनुसार आरोपीगण श्री पुरूषोतम जोशी अधिकारी व श्री कालीचरण बाबू सैल टेक्स कार्यालय बीकानेर के द्वारा पचास हजार रूपये रिश्वत की राशि परिवादी से उसके कार्य के लिये मांग करना पाया गया। परिवादी को निर्देश दिये कि आरोपीगणो को पचास हजार रूपये रिश्वत देने की राशि की व्यवस्था कर दिनांक 15.12.2025 को सुबह चौकी उपस्थित होवे बाद हिदायत परिवादी को रूखस्त किया गया।दिनांक 15.12.2025 को श्री राजेन्द्र कुमार मुख्य आरक्षक 01 के जरिये कार्यालय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर से गवाह तलब करने पर श्री रामचन्द्र गोदारा कनिष्ठ लेखाकर व श्री पदमसिंह कनिष्ठ सहायक कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर

कार्यालय में उपस्थित आये। दोनो सरकारी कर्मचारियो को परिवादी श्री संजीव गुप्ता द्वारा करवायी जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने बाबत पूछा तो दोनो ने अपनी सहमति व्यक्त की इस पर दोनो गवाहो को परिवादी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन करवाया गया तथा रिश्वत मांग सत्यापन के तथ्यो से अवगत करवाया जाकर दोनो कार्मिक को गोपनीय कार्यवाही में स्वंतत्र गवाह के रूप में शामिल किया गया। वक्त 12.05 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर परिवादी श्री संजीव गुप्ता ने रिश्वत में दी जाने वाली राशि 50,000 रूपये भारतीय मुद्रा के 500-500 के 100 नोट निम्न वर्णन के प्रस्तुत किये- 01. एक पांच सौ रूपये का नोट 8LE 446261, 2.एक पांच सौ रूपये का नोट IMQ 401191, 3.एक पांच सौ रूपये का नोट INE 656788, 4.एक पांच सौ रूपये का नोट IRT 071985, 5.एक पांच सौ रूपये का नोट 4FL 261782, 6.एक पांच सौ रूपये का नोट 4VD 844229, 7.एक पांच सौ रूपये का नोट 2ET 916634, 8.एक पांच सौ रूपये का नोट 1NS 312775, 9.एक पांच सौ रूपये का नोट 0GA 708043, 10.एक पांच सौ रूपये का नोट 7MW 836691, 11.एक पांच सौ रूपये का नोट 0NK 241906, 12.एक पांच सी रूपये का नोट 1NV 713665, 13.एक पांच सौ रूपये का नोट 9DS 051880, 14.एक पांच सौ रूपये का नोट 0FA 870491, 15.एक पांच सौ रूपये का नोट 2PB 320418, 16.एक पांच सौ रूपये का नोट 3FH 894362, 17.एक पांच सौ रूपये का नोट 8NB 211913, 18.एक पांच सौ रूपये का नोट 8DH 181593, 19. एक पांच सौ रूपये का नोट 4FP 235138, 20.एक पांच सौ रूपये का नोट 1QP 602815, 21.एक पांच सौ रूपये का नोट 6TR 047435, 22.एक पांच सौ रूपये का नोट 7GD 740795, 23.एक पांच सौ रूपये का नोट 0LM 413745, 24.एक पांच सौ रूपये का नोट 0LM 413730, 25.एक पांच सौ रूपये का नोट 1EL 877378, 26.एक पांच सौ रूपये का नोट 6TT 304852, 27.एक पांच सौ रूपये का नोट 9GG 586257, 28.एक पांच सौ रूपये का नोट 9UL 300472, 29.एक पांच सौ रूपये का नोट 1LM 824052, 30.एक पांच सौ रूपये का नोट 7BA 220889, 31.एक पांच सौ रूपये का नोट 1DT 095338, 32.एक पांच सौ रूपये का नोट, 7LK 878928, 33.एक पांच सौ रूपये का नोट 3NS 450647, 34.एक पांच सौ रूपये का नोट 2NP 049868, 35.एक पांच सौ रूपये का नोट 8FW 693509, 36.एक पांच सौ रूपये का नोट 4GE 690462, 37.एक पांच सौ रूपये का नोट 2WD 916400, 38.एक पांच सौ रूपये का नोट 4NG 068523, 39. एक पांच सौ रूपये का नोट 7WM 528796, 40.एक पांच सौ रूपये का नोट 4GS 078409, 41.एक पांच सौ रूपये का नोट 7PE 261752, 42.एक पांच सौ रूपये का नोट 0TA 758213, 43.एक पांच सौ रूपये का नोट 1MV 854104, 44.एक पांच सौ रूपये का नोट 7PF 918968, 45.एक पांच सौ रूपये का नोट 3EU 084786, 46.एक पांच सौ रूपये का नोट 2LM 446041, 47.एक पांच सौ रूपये का नोट 8KN 456034, 48.एक पांच सी रूपये का नोट 2UH 780388, 49.एक पांच सौ रूपये का नोट 3DU 476083, 50.एक पांच सौ रूपये का नोट 3CP 722367, 51.एक पांच सौ रूपये का नोट 0PG 629757, 52.एक पांच सौ रूपये का नोट 4LM 771577, 53.एक पांच सौ रूपये का नोट 4LM 959680, 54.एक पांच सौ रूपये का नोट 0LM 073000, 55.एक पांच सौ रूपये का नोट 3PM 524708, 56.एक पांच सौ रूपये का नोट 1EB 797823, 57.एक पांच सौ रूपये का नोट 0MP 783132, 58.एक पांच सौ रूपये का नोट 1WQ 994891, 59.एक पांच सौ रूपये का नोट 5DS 600685, 60. एक पांच सी रूपये का नोट 5CP 541648, 61.एक पांच सौ रूपये का नोट 2RA 776510, 62.एक पांच सौ रूपये का नोट 1BD 263917, 63.एक पांच सौ रूपये का नोट 4FU 892548, 64.एक पांच सौ रूपये का नोट 0FS 812803, 65. एक पांच सौ रूपये का नोट 0LF 541908, 66.एक पांच सौ रूपये का नोट 2CA 622849, 67.एक पांच सौ रूपये का नोट 9BC 075031, 68.एक पांच सौ रूपये का नोट 7KN 055819, 69.एक पांच सौ रूपये का नोट 4VD 371337, 70.एक पांच सौ रूपये का नोट 4EQ 224633, 71.एक पांच सौ रूपये का नोट 4UT 798664, 72.एक पांच सौ रूपये का नोट 4NN 924535, 73.एक पांच सौ रूपये का नोट 3BW 991572, 74.एक पांच सौ रूपये का नोट 4LM 638440, 75.एक पांच सौ रूपये का नोट 1VK 775037, 76.एक पांच सौ रूपये का नोट 4KK 566578, 77.एक पांच सौ रूपये का नोट 8AW 259743, 78.एक पांच सौ रूपये का नोट 1BW 956152, 79.एक पांच सौ रूपये का नोट 6WH 843251, 80.एक पांच सौ रूपये का नोट 5AK 922479, 81.एक पांच सौ रूपये का नोट 5AM 161737, 82.एक पांच सौ रूपये का नोट 8QD 911781, 83.एक पांच सौ रूपये का नोट 1HU 432115, 84.एक पांच सौ रूपये का नोट 4LM 611756, 85.एक पांच सौ रूपये का नोट 4LM 611755, 86.एक पांच सौ रूपये का नोट 8KN 653193, 87.एक पांच सौ रूपये का नोट 0RE 776896, 88.एक पांच सौ रूपये का नोट 2DS 263793, 89.एक पांच सौ रूपये का नोट 1TT 844477, 90.एक पांच सौ रूपये का नोट 2LK 957668, 91.एक पांच सौ रूपये का नोट 6ME 636552, 92.एक पांच सौ रूपये का नोट 0GK 247734, 93.एक पांच सौ रूपये का नोट 0CT 963334, 94.एक पांच सौ रूपये का नोट 7LM 975198, 95.एक पांच सौ रूपये का नोट 6GB 510835, 96.एक पांच सौ रूपये का नोट 4LM 766349, 97.एक पांच सौ रूपये का नोट 1EB 075613, 98.एक पांच सौ रूपये का नोट 0LM 373195, 99.एक पांच सौ रूपये का नोट 6SW 301768, 100.एक पांच सौ रूपये का नोट 8KN 586629 उपरोक्त सभी नोटो को एक अखबार पर रखकर श्रीमती विमला मकानि, 229 से हल्का हल्का फिनॉलफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी के अनुसार आरोपी पुरुषोतम जोशी रिश्वत राशि लिफाफा में ही प्राप्त करेगा। जिस हेतु परिवादी श्री संजीव गुप्ता ने एक रंगीन लिफाफा पेश किया। रिश्वति राशि

को श्रीमति बिमला मकानि.229 से उक्त लिफाफा में डलवाकर लिफाफा पर भी फिनॉलफथलीन पाउडर लगवाया जाकर रबड़ बेड लिफाफा पर लगाया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री संजीव गुप्ता की जामा तलाशी गवाह श्री रामचन्द्र गोदारा से लिवाई गई तो आवश्यक परिधान के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नही पाई गई। पाउडर युक्त रिश्वती राशि 50,000 हजार रूपये का लिफाफा श्रीमती विमला मकानि.229 से परिवादी श्री संजीव गुप्ता के पहनी जिंस पेन्ट की आगे की साईड दाहिनी जेब में रखवाया गया। परिवादी श्री संजीव गुप्ता को निर्देश दिये कि उक्त रिश्वती राशि को आरोपी के मांगने से पूर्व नही छुए तथा आरोपी के मांगने पर अपनी जेब से निकाल कर उसे देवें तथा अपने कार्य के सम्बन्ध में वार्ता करें। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर अपने चेहरे पर दो-तीन बार हाथ फेरकर तथा सम्भव हो तो अपने मोबाईल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस्ड कॉल कर ईशारा करें। दोनो गवाहान को निर्देश दिये कि यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन देन एवं इस बीच होने वाली वार्ता को देखने एवं सुनने का प्रयास करें। फिनॉलफथलीन पाउडर की शीशी सुरक्षित रखवाई गई। एक डिस्पोजेबल गिलास में पानी भरकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी रंगहीन रहा इस गिलास में श्रीमती बिमला मकानि.229 के दाहिने हाथ की अगूलियों व अगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार दोनो गवाहान व परिवादी को फिनॉलफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक क्रिया के दृष्टांत सहित समझाया गया। गिलास के मिश्रण को बाहर फिकवाकर गिलास व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर पाउडर लगाया को जलाकर नष्ट किया गया। श्रीमति बिमला मकानि.229 के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। परिवादी श्री संजीव गुप्ता को रिश्वत स्वीकृति के ईशारें हेतु उसका मोबाईल दिया गया। परिवादी श्री संजीव गुप्ता को रिश्वत लेनदेन के समय आरोपी से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु सरकारी वॉयस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर सुपुर्द किया गया। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को आवश्यक निर्देश दिये गये। तत्पश्चात वक्त 1.10 पीएम पर परिवादी श्री संजीव गुप्ता को उसकी निजी कार से मय श्री कन्हैयालाल कानि.312, श्री जमील अहमद कानि.147 के सेल टेक्स कार्यालय बीकानेर के लिए रवाना कर इनके पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री बंजरगसिंह सहायक उप निरीक्षक, गवाह श्री रामचन्द्र गोदारा, श्री पदमसिंह जरिये सरकारी वाहन चालक श्री गजेन्द्रसिंह मय ट्रेप साम्रगी तथा श्री राजवीरसिंह मुख्य आरक्षक, श्री राजेन्द्र मुख्य आरक्षक, श्री गिरधारीलाल कानि., श्री दिलीप यादव कानि., श्री हरीराम कानि. निजी मोटरसाईकिलों से रवाना होकर वक्त 1.15 पीएम पर वाणिज्य कर विभाग कार्यालय बीकानेर के नजदीक पंहुचकर श्री कन्हैयालाल कानिस्टेबल से परिवादी को सुपुर्द डीवीआर चालू करवाकर परिवादी को आरोपगणो से सम्पर्क करने रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ के आरोपगण के कार्यालय के नजदीक मुकिम हुए। वक्त 1.36 पीएम पर परिवादी श्री संजीव गुप्ता के मोबाईल नम्बर से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस्ड कॉल प्राप्त होने पर हमराही सभी ट्रेप पार्टी सदस्यों के अविलम्ब वाणिज्य कर विभाग के प्रथम तल पर खड़े परिवादी श्री संजीव गुप्ता के पास पहुंचे, परिवादी श्री संजीव गुप्ता ने बताया कि में अभी-अभी श्री पुरुषोतम जोशी से उनके कक्ष नम्बर 204 में मिला था, पुरुषोतम जी से पहले उसी कमरे में कालीचरण भी मुझे मिला था जिससे मैने पुरुषोतम जी के बारे में पूछा था, कालीचरण बाबू उसी दौरान दूसरे कमरे की तरफ चला गया। कुछ ही देर में श्री पुरुषोतम जोशी कमरे में आ गये, पुरुषोतम जी से मैने मेरे काम के संबंध में वार्ता की तथा बार्ता के दौरान मैने 50,000 रूपये रिश्वति राशि लिफाफा सहित पुरुषोतम जी को दी, जिन्होने अपने बांये हाथ में मेरे से लिफाफा प्राप्त कर अपनी टेबल की दराज में रख लिये, मैने पुरुषोतम जी को बताया कि 50,000 रूपये है, तो पुरुषोतम जी ने कहा ठीक ठीक है ओके। उसके बाद पुरुषोतम जोशी कमरे से बाहर जाने लगे और मुझे भी जाने का कहा। में गैलेरी में खड़ा होकर आपको मेरे मोबाईल से मिस काल कर दिया था। इस पर परिवादी श्री संजीव गुप्ता को साथ लेकर हमराही सभी के आरोपी के कक्ष नम्बर 204 में प्रवेश हुए तो कमरे के अन्दर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था, इसी दौरान लाल स्वेटर पहने एक व्यक्ति गैलेरी में आता दिखाई दिया जिसे देखकर परिवादी श्री संजीव गुप्ता ने बताया कि यही पुरुषोतम जोशी अधिकारी है। इस पर लाल स्वेटर पहने व्यक्ति को हमराह लेकर कमरा नम्बर 204 में प्रवेश होकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराही गवाह एवं स्टाफ का परिचय देते नाम पता पूछा तो अपना नाम पुरुषोतम जोशी पुत्र श्री सत्यनारायण जोशी उम्र 36 वर्ष जाति ब्राह्म्ण निवासी बड़ा गणेश जी मन्दिर के सामने नत्थूसर गेट के बाहर बीकानेर हाल टैक्स असिस्टेंट वाणिज्य कर विभाग वृत-बी बीकानेर होना बताया। परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया तथा श्री पुरुषोतम जोशी का दाहिना हाथ श्री हरिराम कानिस्टेबल एवं बांया हाथ श्री राजवीरसिंह हैड कानिस्टेबल से कलाईयो से उपर पकड़वाया गया। कार्यवाही की सरकारी मोबाईल फोन में स्थापित नया मैमोरी कार्ड में विडियोग्राफी करने हेतु श्री जमील अहमद कानिस्टेबल नम्बर 147 को निर्देश दिये गये। श्री पुरुषोतम जोशी टैक्स असिस्टेंट से परिवादी श्री संजीव गुप्ता से रिश्वत राशि लिये जाने का पूछने पर श्री पुरुषोतम जोशी टैक्स असिस्टेंट ने बताया कि साहब मैने कोई रिश्वत नही ली है आप देख लो, इस पर परिवादी श्री संजीव गुप्ता ने स्वत ही बताया कि साहब पुरुषोतम जी झूठ बोल रहे है, अभी कुछ देर पहले में इनसे इसी कमरे में मिला था पुरुषोतम जी से मेरी मेरे काम के संबंध में बातचीत हुई थी उसी दौरान इनकी मांग के अनुसार मैनें पचास हजार रूपये रिश्वती राशि लिफाफे सहित इनको दिये और मैनें इनको बताया कि साहब पचास हजार पूरे है तो पुरुषोतम जी ने कहा की ठीक है ठीक है ओके, पुरुषोतम जी ने रिश्वती

[redacted]

राशि का लिफाफा अपने बांये हाथ में लेकर अपनी टेबिल की दराज में रखा था। उसके बाद पुरुषोतम जी इस कमरे से बाहर निकल गये और मुझे जाने का कहा। रिश्वती राशि के सम्बंध में आरोपी पुरुषोतम जोशी से पुन पूछने पर बताया कि साहब मैने संजीव गुप्ता से कोई रिश्वत राशि प्राप्त नही की है आप देख सकते हो। इस पर हमराही स्वतंत्र गवाहान से आरोपी पुरुषोतम जोशी की टेबिल की दराज खोलकर दिखवाया गया तो दराज में रिश्वती राशि का लिफाफा दिखाई नही दिया। रिश्वत राशि लेन देन की पुष्टि के लिए दो साफ पारदर्शी डिस्पोजल गिलासो में श्री गिरधारीलाल कानिस्टेबल से साफ पानी भरवाकर दोनो गिलासो में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया जो सभी हाजरीन ने रंगहीन होने की ताईद की। रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री पुरुषोतम जोशी टैक्स असिस्टेंट वाणिज्य कर विभाग वृत-बी बीकानेर के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगूठे का धोवन लिया गया तो धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा भरकर मार्क एल-1, एल-2 अंकित किया। तत्पश्चात रंगहीन घोल के दूसरे गिलास में आरोपी पुरुषोतम जोशी के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे का धोवन लिया गया तो धोवन हल्का मटमेला प्राप्त हुआ जिसे दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा भरकर मार्क आर-1, आर-2 अंकित किये गये। आरोपी पुरुषोतम जोशी के हाथों से प्राप्त धोवन से आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि लिये जाने की पुष्टि होने पर रिश्वती राशि के सम्बंध में आरोपी श्री पुरुषोतम जोशी से पुन तसल्ली से पुछने पर बताया कि साहब मैने परिवादी से रिश्वती राशि नहीं ली है आप देख सकते हो। आरोपी की तलाशी ली गई तो पास में रिश्वत राशि होना नही पाया गया। संतुष्टी के लिए परिवादी की तलाशी ली गई परन्तु परिवादी के पास रिश्वत राशि नही मिली। तत्पश्चात डी.वी.आर में रिकार्ड वार्ता को सुना गया और आरोपी एवं स्वतंत्र गवाहान को भी सुनाया गया तो रिकार्ड वार्ता में परिवादी से आरोपी श्री पुरुषोतम जोशी टैक्स असिस्टेट द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने संबंधी वार्ता रिकार्ड होना पाया गया है। धोवन कार्यवाही एवं रिकार्ड वार्ता अनुसार रिश्वती राशि आरोपी द्वारा प्राप्त करने की पुष्टि होने से आरोपी पुरुषोतम जोशी से रिश्वत राशि के बारे में साक्ष्यों का आधार बताते हुए पूछने पर कार्यवाही में कोई सहयोग नहीं किया। परिवाद श्री संजीव गुप्ता का आरोपी के पास लम्बित कार्य के सम्बंध में पूछने पर आरोपी श्री पुरुषोतम जोशी ने बताया कि परिवादी श्री संजीव गुप्ता की दुकान श्री बालाजी इन्टरप्राईजेज शिवबाड़ी रोड वल्लभ गार्डन बीकानेर के नाम से है। दस्तावेज के अनुसार जीएसटी नम्बर 08BBRPG8107M1Z4 है। परिवादी की फर्म के नाम से फॉर्म जीएसटी एएसएमटी 10 हमारे कार्यालय से दिनांक 11.06.25 को जारी हुआ है। इस नोटिस में 942942.24 रूपये का आईटीसी का अन्तर दर्शाया गया है. जिस पर संजीव गुप्ता को आईटीसी की अन्तर राशि 942942.24 का जवाब 15 दिवस में देना था, परिवादी श्री संजीव गुप्ता ने जवाब पेश किया जिसमें उसने 57424 रूपये की राशि दिनांक 03.09.25 को जमा करवायी है। इस कारण परिवादी की फर्म के नाम से जारी नोटिस जिसमें राशि 942942.24 रूपये का आईटीसी का अन्तर दिखाया गया था का निस्तारण हो गया था मेरे पास आज इनका कोई काम पैन्डिंग नहीं था। इस पर मौजूदा परिवादी श्री संजीव गुप्ता ने बताया कि साहब मेरी फर्म श्रीबालाजी इन्टरप्राईजेज के नाम से जीएसटी एएसएमटी 10 दिनांक 11.06.25 को जारी हुआ था। जिस पर मेरे सीए श्री प्रकाश छींपा ने दिनांक 03.09.2025 को आईटीसी का अन्तर राशि ब्याज सहित 57424 रुपये पोर्टल पर ऑनलाईन जमा करवाई थी। इस प्रकार हमारी फर्म ने फॉर्म जीएसटी एएसएमटी 10 का जबाव पेश किया था। श्री पुरुषोतम जोशी एवं कालीचरण जोशी बाबू ने मेरे से मेरी फर्म के नाम जारी फॉर्म जीएसटी एएसएमटी 10 राशि 94294224 रूपये का निस्तारण करने की एवज में 50,000 रूपये सत्यापन वार्ता दिनांक 13.12.2025 के दौरान मांग की गई थी, मांग के अनुसरण में आज पुरूषोतम जोशी टेक्स असिस्टेंट ने मेरे से 50,000 रूपये रिश्वत राशि इसी कक्ष में ली थी। रिश्वत राशि की तलाशी कमरा नम्बर 204 में की गई परन्तु रिश्वति राशि बरामद नहीं हुई। आस-पास गैलरी, टॉयलेट, बाथरूम में हमरा गवाहान व स्टॉफ से तलाश करवाई गई तो रिश्वति राशि के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नही हुई। उपरोक्त धोवन कार्यवाही एवं रिकार्ड वार्ता अनुसार रिश्वती राशि आरोपी द्वारा प्राप्त किया जाना पाया गया है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त साक्ष्यों के संबंध में आरोपी श्री पुरूषोतम जोशी को अवगत कराते हुए कार्यवाही में सहयोग करने हेतु कहा तथा रिश्वती राशि के संबंध में सही सही तथ्य बताने बाबत कहा तो श्री पुरूषोतम जोशी ने बताया कि साहब मैं मेरे कमरा नम्बर 204 में काम कर रहा था इस दौरान श्री संजीव गुप्ता अपनी फर्म के काम के सम्बंध में मेरे पास आया था, संजीव गुप्ता ने मेरे से बातचीत की उसी दौरान एक लिफाफा संजीव गुप्ता ने मेरी टेबिल की दराज में रख दिया था, उसमे क्या था मुझे पता नहीं, मैं कमरे से बाहर निकला उसी दौरान कालीचरण जोशी बाबू मेरे कमरे में आकर लिफाफा ले गया, कालीचरण मेरे साथ इसी कमरे में काम करता है। इस पर कार्यालय में कालीचरण वरिष्ठ सहायक का मालूमात किया गया तो कालीचरण कार्यालय में उपस्थित नही मिला, मोबाईल से सम्पर्क करना चाहा तो मोबाईल स्वीच ऑफ मिला। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कालीचरण का पूर्ण पता ज्ञात कर तलाशी हेतु ब्यूरो कार्यालय से टीम रवाना होने के निर्देश दिये। उक्त कार्यवाही में आरोपी पुरुषोतम जोशी के दोनों हाथों की धोवन की शिशियो को सीलचिट कर कब्जा एसीबी लिया गया। ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील मोहर करने में प्रयुक्त की जा रही पीतल की सील नम्बर 43 की फर्द नमूना सील तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही कागजात की गई तथा आरोपी श्री पुरुषोतम जोशी टेक्स असिस्टेंट वाणिज्य कर विभाग वृत-बी बीकानेर को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री पुरुषोतम जोशी का मोबाईल फोन का अवलोकन किया

गया। परिवादी व आरोपी श्री पुरुषोतम जोशी की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जरिये मोबाईल वार्ता हुई है। प्रकरण में आरोपी का मोबाईल फोन बजह् सबूत होने से मोवाईल वीवो 1904 जिसमें 1.आईएमईआई नम्बर : 2.आईएमईआई नम्बर है। मोबाईल में सिम नम्बर एयरटेल तथा दूसरी सिम जियो नम्बर है। मोबाईल का पैटर्न लॉक L है। आरोपी द्वारा टैक्स्ट मैसेज में परिवादी के मोबाईल नम्बर मैसेज किये हुए। उक्त मैसेज के सम्बंध में परिवादी द्वारा पूर्व में स्कीन शॉट पेश किये हुए है जिनका मिलान हूबहू होता है। इसके अतिरिक्त वॉटसएप चैट का अवलोकन किया गया तो आरोपी द्वारा परिवादी को वाटसएप कॉल दिनांक 13.11.2025 से निरतंर किए हुए है। रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात् परिवादी के द्वारा किए गये ईशारा वक्त 1.36 पीएम के बाद आरोपी पुरुषोतम जोशी की आरोपी श्री कालीचरण जोशी बाबू से उसके मोबाईल नम्बर पर वक्त 1.40 पीएम पर मिस्ड कॉल होना पाया गया गया। आरोपी पुरूषोतम जोशी द्वारा परिवादी से रिश्वति राशि प्राप्त की जाकर कालीचरण जोशी वरिष्ठ सहायक के माध्यम से खुर्द-बुर्द की गई है। आरोपी के उक्त मोबाईल फोन को सफेद कपड़े की थैली में डालकर जरिये फर्द जब्ती कब्जा एसीबी लिया गया। वक्त रिश्वत लेन-देन के समय की रिकॉर्ड हुई वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। मौका की कार्यवाही की विडियोग्राफी के मूल मैमोरी कार्ड से दो पैन ड्राईव तैयार किये जाकर एक पैन ड्राईव को सील मोहर किया गया तथा दुसरे पैन ड्राईव को खुली अवस्था में रखा गया। मूल मैमोरी कार्ड को सफेद कपड़े की थैली में सील चिट किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द जब्ती मूल मैमोरी कार्ड विडियोग्राफी पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही में बजह सबूतों को सील मोहर करने में प्रयुक्त की गई पीतल की सील नम्बर 43 को अनुपयोगी कर नष्ट किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। मौका की कार्यवाही पश्चात घटनास्थल से रवाना होकर वक्त 10.15 पीएम पर कार्यालय पहुंच ट्रेप कार्यवाही का वजह सबूत मालखाना जमा करवाया गया। आरोपी को रात्रि में थाना सदर की हवालात में जमा करवाया गया। गिरफ्तारशुदा आरोपी को माननीय सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के आदेश प्रदान करने पर केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। आरोपी श्री कालीधरण जोशी वरिष्ठ सहायक की तलाश की गई परंतु आरोपी अपने निवास स्थान से रूपोश है।उपर्युक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री संजीव गुप्ता पुत्र श्री सतवीर प्रसाद गुप्ता निवासी बी-01/93 सुदर्शना नगर पवनपुरी बीकानेर की फर्म श्री बालाजी इन्टरप्राईजेज ए-174 शिव बाड़ी वल्लभ गार्डन बीकानेर के नाम से वाणिज्य कर विभाग बीकानेर द्वारा 9,42,942.24 रूपये का रिकवरी नोटिस दिनांक 11.06.2025 को जारी किया गया था। परिवादी द्वारा उक्त नोटिस के कम में अन्तर राशि 57,424 रूपये जमा करवाये जा चुके थे। रिकवरी नोटिस के संबंध परिवादी श्री संजीव गुप्ता द्वारा जीएसटी विभाग बीकानेर वृत-बी में श्री पुरुषोतम जोशी कर सहायक एवं श्री कालीचरण जोशी वरिष्ठ सहायक से सम्पर्क किया। आरोपी श्री पुरूषोतम जोशी कर सहायक व श्री कालीचरण वरिष्ठ सहायक के द्वारा परिवादी की फर्म के नाम से जारी नोटिश राशि 9,42,942.24 रूपये का सैटलमेट करने की एवज में रिश्वत की मांग की गई। दिनांक 13.12.2025 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन के दौरान आरोपी श्री पुरुषोतम जोशी कर सहायक द्वारा श्री कालीचरण जोशी वरिष्ठ सहायक को परिवादी से रिश्वति राशि प्राप्त करने हेतु जरिये मोबाईल वार्ता कर सम्पर्क करवाया गया। परिवादी द्वारा आरोपी श्री पुरुषोतम से जरिये मोबाईल फोन वार्ता की तो आरोपी पुरुषोतम जोशी रिश्वति राशि प्राप्त करने हेतु कालीचरण बाबू को भेजना तथा वार्ता में 50,000 रूपये की रिश्वत की मांग आरोपी श्री पुरूषोतम जोशी द्वारा की गई। रिश्वत मांग के अनुसरण में आरोपी श्री पुरुषोतम जोशी द्वारा दिनांक 15.12.2025 को परिवादी से 50,000 रूपये रिश्वत राशि का लिफाफा प्राप्त करके श्री कालीचरण जोशी वरिष्ठ सहायक के माध्यम से खुर्द-बुर्द किया गया। रिश्वती राशि प्राप्त करने के तुरंत बाद आरोपी पुरुषोतम जोशी एवं आरोपी श्री कालीचरण की मोबाईल पर वार्ता होना भी पाया गया है। कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री पुरूषोतम जोशी कर सहायक के बायें हाथ का धोवन हल्का गुलाबी तथा दाहिने हाथ का धोवन मटमैला प्राप्त हुआ है तथा वक्त रिश्वत लेन-देन रिकॉर्ड वार्ता में भी आरोपी पुरुषोतम जोशी द्वारा परिवादी से 50,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री पुरूषोतम जोशी कर सहायक वाणिज्य कर विभाग वृत-बी, बीकानेर एवं श्री कालीचरण जोशी वरिष्ठ सहायक वाणिज्य कर विभाग वृत-बी बीकानेर द्वारा परिवादी के रिकवरी नोटिश में दर्शाई गई राशि 9,42,942.24 रूपये को सेट कर देने की एवज में परिवादी से रिश्वत की मांग के अनुसरण में 50,000 रूपये प्राप्त कर खुर्द-बुर्द किया गया है। आरोपी श्री कालीचरण जोशी वरिष्ठ सहायक की तलाश की गई परन्तु रूपोश है। आरोपीगण का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 238, 61(2) बीएनएस 2023 का प्रथम दृष्ट्या घटित होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त अपराध में आरोपी 01. श्री पुरुषोतम जोशी पुत्र श्री सत्यनारायण जोशी निवासी बड़ा गणेश जी मन्दिर के पास आउट साईड नत्थूसर गेट बीकानेर हाल कर सहायक वाणिज्य कर विभाग वृत-बी बीकानेर, 02. श्री कालीचरण जोशी पुत्र श्री मख्खनलाल जोशी निवासी नथाणियों की सराय नत्थूसर गेट के बाहर बीकानेर हाल वरिष्ठ सहायक वाणिज्य कर विभाग वृत्त-बी बीकानेर के विरूद्ध बिना नम्बरी एफआईआर वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवामें प्रेषित है।भवदीय(आशीष कुमार)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,स्पेशल

यूनिट, बीकानेर.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आशीष कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, बीकानेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 238, 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1. श्री पुरूषोतम जोशी पुत्र श्री सत्यनारायण जोशी जाति ब्रहाम्ण उम्र 36 साल निवासी बड़ा गणेश जी मन्दिर के पास आउट साईड नत्थूसर गेट पुलिस थाना नयाशहर जिला बीकानेर हाल कर सहायक वाणिज्य कर विभाग वृत- बी, बीकानेर एवं 2. श्री कालीचरण जोशी पुत्र श्री मख्खनलाल जोशी जाति ब्रहाम्ण उम्र 27 साल निवासी नथाणियों की सराय नत्थूसर गेट के अन्दर पुलिस थाना नयाशहर जिला बीकानेर हाल वरिष्ठ सहायक वाणिज्य कर विभाग वृत-बी, बीकानेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विनोद कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 276 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1880-83 दिनांक 18.12.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- 1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर 2- आयुक्त, वाणिज्यक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, बीकानेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** VINOD KUMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I
Date: 1 2/2025

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1989				
2	Male	1998				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)